गुम होने, नष्ट होने या चोरी की सूचना की अधिसूचना के लिए दिशानिर्देश

भारत के राजपत्र भाग-IV में नाम/नामों में सुधार, लिंग परिवर्तन, गोद लेना रद्द करना, पुनर्विवाह पर बच्चों और पिता के नाम में परिवर्तन आदि के संबंध में सार्वजनिक सूचना के विज्ञापन की सूचना।

भारत के राजपत्र भाग-IV में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित है।

(i) समाचार पत्र की नवीनतम मूलप्रति

(ii) एफ.आई.आर. की फोटोप्रतिलिपि (स्व अभिप्रमाणित)

(iii) आवेदक तथा दो साक्षियों द्वारा सत्यापित विधिवत रूप से टंकण/टाइप निर्धारित प्रोफार्मा की दो प्रतियाँ

(iv) साक्षी/गवाह के हिस्से को छोड़कर एम एस वर्ड में टंकित/टाइप मुद्रित सामग्री युक्त सी. डी एवं हस्ताक्षर के स्थान पर अभिभावक का नाम टाइप करें।

(v) आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आई. डी. प्रूफ की फोटोकोपी (स्वयं सत्यापित)

(vi) आवेदक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित एक प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गई हो कि हार्ड कॉपी तथा साफ्ट कॉपी की विषय सूची समरूप/समान है।

(vii) अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र।

भारत के राजपत्र भाग-IV में गुम होने, नष्ट होने या चोरी की सूचना प्रकाशित कराने हेतु आवेदक को विज्ञापन के प्रकाशन से पहले निम्नलिखित औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य है ।

1. विज्ञापन के मामले का विवरण दर्शाते हुए स्थानीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए।
2. निर्धारित नमूने में निर्धारित मुद्रण सामग्री को एक अलग सादे कागज पर टाइप करके सभी प्रकार से पूर्ण रूप से पूरा किया जाना चाहिए और व्यक्ति द्वारा अपने पुराने नाम से, साक्षी/गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित, डुप्लिकेट (दो प्रतियां) में सॉफ्ट प्रतिलिपि (सीडी एमएस वर्ड)। प्रोफार्मा कम्प्यूटर टाइप को जमा किया जाना चाहिए।
3. आवेदक को आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ दो स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार के फोटो और फोटो आईडी प्रूफ की प्रति, दोनों विधिवत स्वप्रमाणित जमा करनी होंगी।
4. 31/03/2017 से खोई/नष्ट/चोरी हुई सूचना के प्रकाशन के लिए मुद्रण शुल्क रु. 1900/- (एक अंक के लिए)/लगातार तीन अंकों के लिए रु. 3600/- है। मुख्य लेखा कार्यालय,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 01/10/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या G-20018/Pr.Ao/UD/A/Cs/NTRP/2018-19/1489-1504 के अनुसरण से विभाग द्वारा जारी दिनांक 04/10/2018 के आदेश संख्या Cash/NTRP/2018-19 के अनुसार दिनांक 01/10/2018 से यह राशि एनटीआरपी (नान-टैक्स रिसीप्ट पोर्टल यानि **www.bharatkosh.gov.in**) के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।
5. अग्रेषण पत्र के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज, मुद्रण शुल्क तथा फोटो पहचान पत्र प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 को व्यक्तिगत/डाक द्वारा जमा किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
6. विभाग में जमा किए दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में न तो मूल और न ही इसकी फोटो प्रति वापस किए जाएंगे ।
7. विभाग में इस विषय पर सार्वजनिक निपटान समय प्रत्येक कार्य दिवस पूर्वाहन 10:00 बजे से 1: 00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक रहेगा।

8. आई डी प्रूफ के साथ सभी आवेदन स्वयं सत्यापित होनी चाहिए। आवेदन सिर्फ व्यक्तिगत/डाक/संदेशवाहक द्वारा जमा किया जाना चाहिए । एजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

9. आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित एक प्रमाण पत्र जिसमे यह घोषणा किया जाना चाहिए कि हार्ड प्रति तथा सॉफ्ट प्रति में निहित विषयवस्तु एक समान है। साथ ही उसे यह भी शपथ लेना चाहिए कि आवेदक किसी भी असंगति अथवा पारावहन में हुए नुकसान के लिए स्वयं ज़िम्मेवार होगा।

10. सभी प्रकार से सही ढंग से भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात निवेदन को संबन्धित भारत सरकार के मुद्रणालय में अधिसूचित करने के लिए भेज दिया जाएगा।

11. यह विभाग संबन्धित मुद्रणालय में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए ज़िम्मेवार नहीं होगा।

13. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामग्री को अस्वीकार कर सकता है।

प्रकाशन नियंत्रक
प्रकाशन विभाग